देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/mmp/26 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2020

भाग-1

जे.डी.ए. विनियमों और राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियाँ उड़ाता राज आंगन रिसोर्ट/हवेली रलावता

फेसेलिटी और ग्रुप हाउसिंग की जमीन पर बना हुआ है यह अवैध रिसोर्ट/होटल

जे.डी.ए. ज़ोन-8 में स्थित महाराजा किशन सिंह नगर में संचालित अवैध राज आंगन रिसोर्ट/हवेली रलावता

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

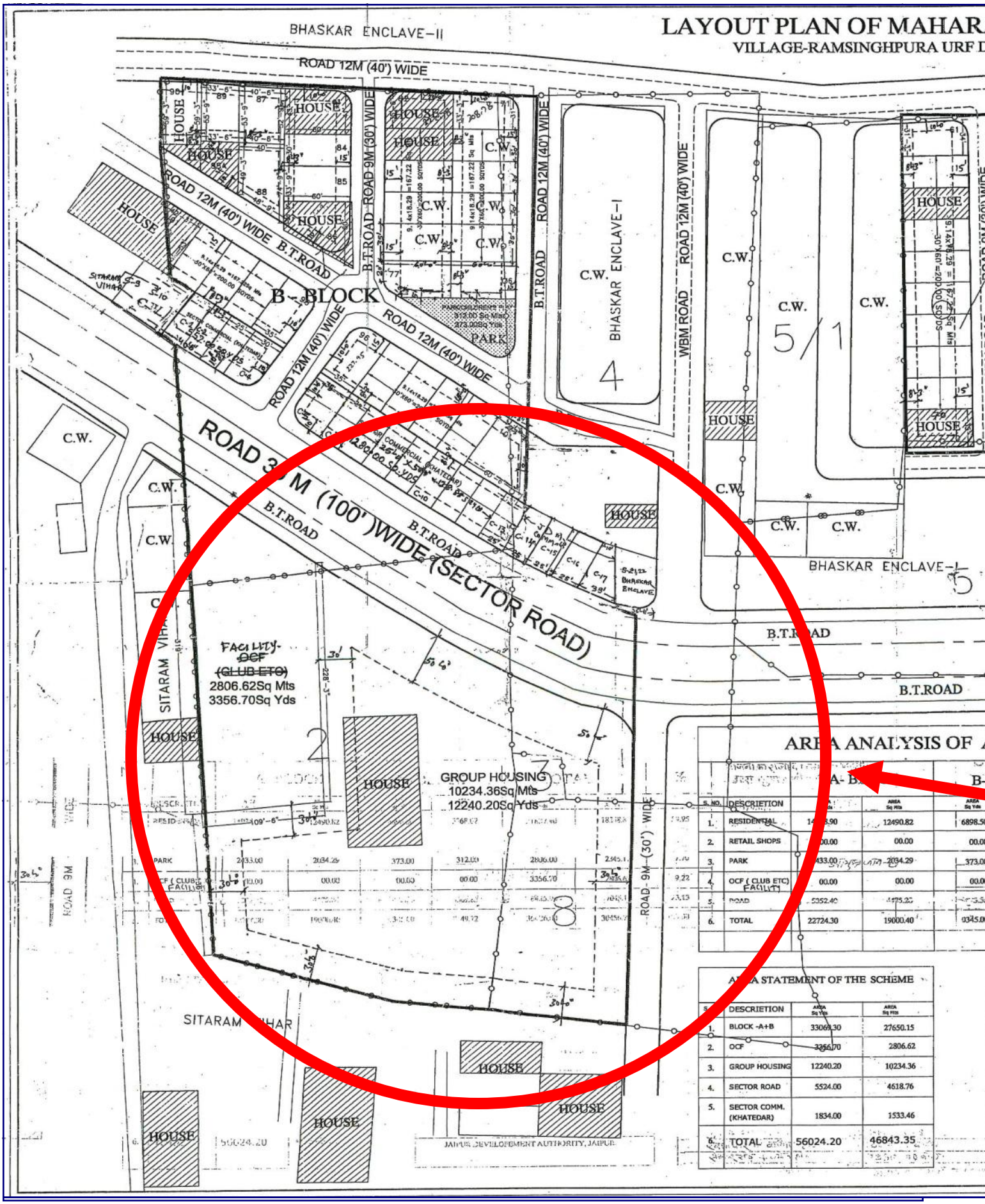

AREA ANALYSIS OF

S. NO.	DESCRIETION	AREA Sq Mts	AREA Sq Yds
1.	RESIDENTIAL	12490.82	
2.	RETAIL SHOPS	00.00	
3.	PARK	2034.29	
4.	OCF (CLUB ETC) FACILITY	00.00	
5.	ROAD	4775.20	
6.	TOTAL	19000.40	

AREA STATEMENT OF THE SCHEME

S.	DESCRIETION	AREA Sq Yds	AREA Sq Mts
1.	BLOCK -A+B	33069.30	27650.15
2.	OCF	3356.70	2806.62
3.	GROUP HOUSING	12240.20	10234.36
4.	SECTOR ROAD	5524.00	4618.76
5.	SECTOR COMM. (KHATEDAR)	1834.00	1533.46
6.	TOTAL	56024.20	46843.35

जे.डी.ए. द्वारा अनुमोदित किया गया महाराजा किशन सिंह नगर का नक्शा, जिसमे होटल/रिसोर्ट की जगह को ग्रुप हाउसिंग और फेसेलिटी की जमीन के रूप में दर्शाया गया है।

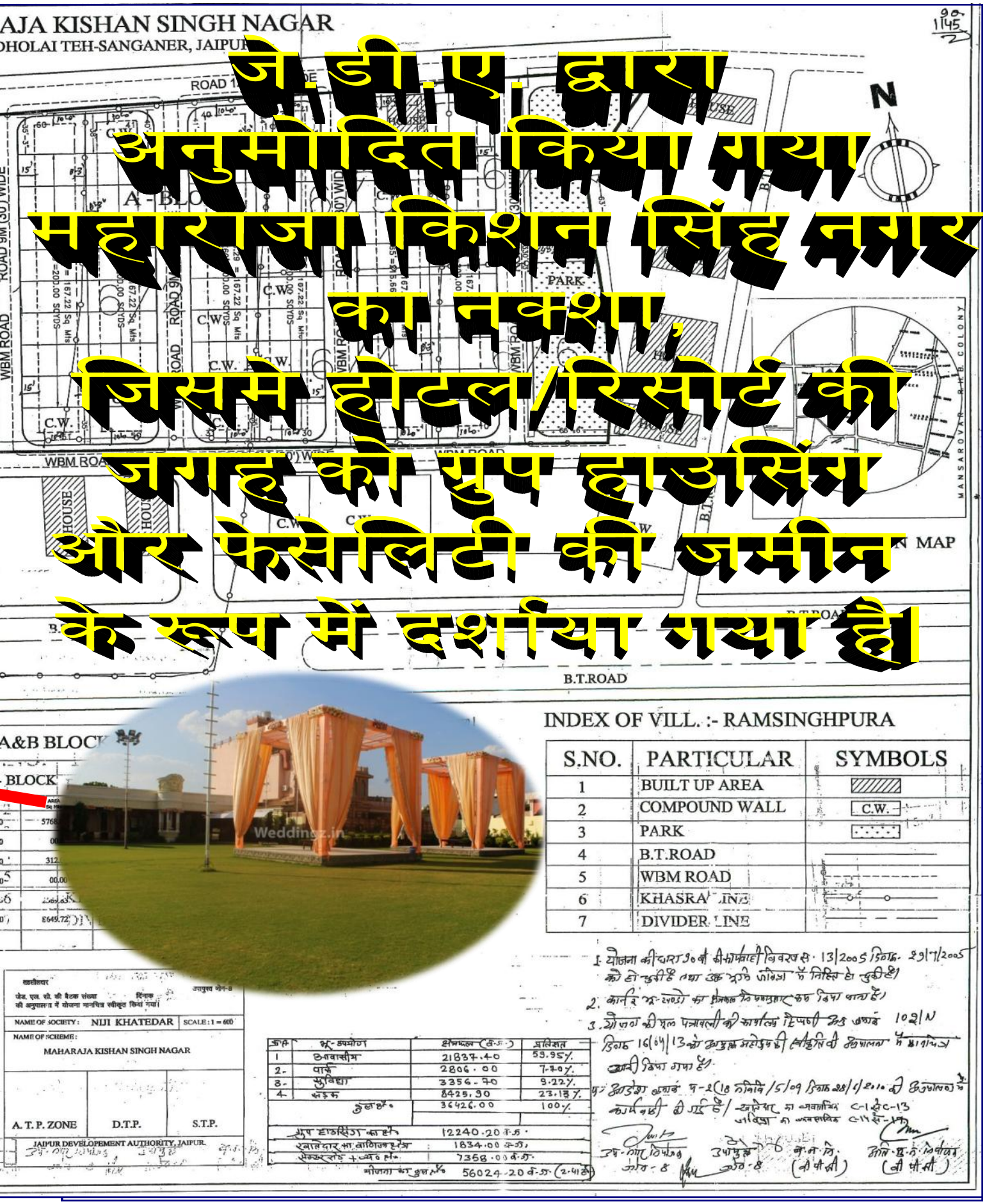

राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश;सुविधा क्षेत्र,पार्कों,सड़कों,फुटपाथों से तुरंत हटाये जाए अवैध निर्माण/अतिक्रमण

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मोनिटरिंग कमिटी का गठन

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्व प्रेरित मामले डी.बी. सिविल रिट पिटीशन 7688/2019 में दिए गए अंतरिम निर्णय में जे.डी.ए.,नगर निगम सहित अन्य सभी जिम्मेदार विभागों को तत्काल प्रभाव से निजी सहकारी संस्थाओं द्वारा काटी गयी कोलोनियों में आम जन की सुविधा हेतु छोड़े गए सुविधा क्षेत्रों,पार्कों,सड़कों,फुटपाथों व अन्य सार्वजानिक स्थानों पर हो रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी किये है|साथ ही ऐसे मामलों में प्रभावी मोनिटरिंग करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटी का गठन कर, हर माह मोनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए है|

राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों को ठेंगा बताते हुए चल रहा अवैध रिसोर्ट " राज आंगन"

प्राय देखा गया है कि जे.डी.ए./नगर निगम के अधिकारी गरीब,मजलूम,असहाय लोगो पर ही अपनी ताकत आजमाते है|बड़े और रसूखदारों के तो यह तलुवे चाटते नजर आते है|चूँकि यह रिसोर्ट शहर के एक बड़े रसूखदार द्वारा संचालित किया जा रहा है इस कारण लाख शिकायतों के बावजूद आज तक जे.डी.ए. इसकी एक ईंट भी नहीं हिला पाया है|बड़ी बड़ी सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की डींगे मारने वाले मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय इस मामले को दबाये बैठे है|जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्व प्रेरित मामले डी.बी. सिविल रिट पिटीशन 7688/2019 मामले में उन्होंने भी जे.डी.ए. की तरफ से शपथ पत्र पेश किया है|देखना यह है कि एक बार फिर मामला राज्य सरकार के आला अधिकारियों के संज्ञान में आने पर इसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है या फिर वापस ठन्डे बस्ते में डाल दिया जाता है|

जिम्मेदार अधिकारी

क्रमांक	पदनाम	नाम
1.	श्रीमान मुख्य सचिव महोदय,राज्य सरकार	श्री राजीव स्वरूप
2.	श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,नगरीय विकास विभाग	श्री भास्कर ए.सावंत
3.	श्रीमान आयुक्त महोदय,जे.डी.ए.	श्री गौरव गोयल
4.	श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,जे.डी.ए.	श्री मामन सिंह
5.	श्रीमान मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय,जे.डी.ए.	श्री रघुवीर सैनी
6.	श्रीमान उपायुक्त महोदय,ज़ोन-8,जे.डी.ए.	श्री नरेश सिंह तंवर
7.	श्रीमान प्रवर्तन अधिकारी महोदय,जे.डी.ए.	श्री श्रीचंद सिंह